

प्रेस नोट दिनांक 11.11.2020

1. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र परशुराम नि० शिवराम का पुरवा सरैठी थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात ट्रक चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बाबा को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 794/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री ओमप्रकाश दूबे पुत्र जगजीवन दूबे नि० विशनूपुर सारा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 बी 2143 मो०सा० का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मान देना जिससे वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 624/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री उमाशंकर जायसवाल पुत्र जानकी प्रसाद नि० उनियार बाजार थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रैक्टर चालक अज्ञात ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के घर में टक्कर मार देना जिससे क्षत्रिगस्त्र हो जाना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 489/20 धारा 279, 427, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री रामरंग यादव ग्राम प्रधान जरही थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजीत सिंह पुत्र गुड्डू सिंह नि० जरही थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गणों द्वारा सामुदायिक शौचालय का दीवाल तोड़ कर गिरा देना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 477/20 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.11.20 को वादी का० नरेन्द्र देव मिश्र थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बाढू निषाद पुत्र रामभरोसे नि० गंगापुर थाना तारुन अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 446/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 10.11.20 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शहजादे पुत्र शेरू नि० कस्बा रुदौली थाना रुदौली अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 459/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 10.11.20 को वादी उ०नि० श्री रणजीत सिंह यादव थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हंसराज पुत्र रामबली नि० ऐहार थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 460/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।